



कार्यालय :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला।

E-mail:- cf-gumla@gov.in / cf-gumla@gmail.com, Ph. No :- 06524-221236(O), 223052(R)



पत्रांक 1010 / दिनांक 18/05/2023

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :- मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा- बगडू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्साइट खनन हेतु 7.52 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- भवदीय का पत्रांक 1259 दिनांक 13.12.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा- बगडू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्साइट खनन हेतु 7.52 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु समर्पित प्रस्ताव में भवदीय के प्रासंगिक पत्र में वर्णित/कमियों का वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा ने अपने पत्रांक 172 दिनांक 21.01.2023 (प्रति संलग्न) द्वारा निराकरण कर प्रस्ताव निम्नवत समर्पित की गई है :-

क्र०	शर्त	अनुपालन
1	2	3
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र में फार्म-ए पार्ट-I अपलोड नहीं किया गया है।	निर्धारित प्रपत्र फार्म-ए पार्ट-I (संलग्न)
2.	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल द्वारा निर्धारित प्रपत्र पार्ट-II अपलोड नहीं किया गया है।	निर्धारित प्रपत्र पार्ट-II (संलग्न)
3.	1:50000 स्केल के टोपोशीट मैप (रंगीन एवं अरेखन सहित) संलग्न नहीं है।	संलग्न।
4.	प्रस्ताव के साथ मौजा मैप की (रंगीन एवं अरेखन सहित) संलग्न नहीं है।	संलग्न।
5.	प्रस्ताव के साथ अपयोजन होने वाले वनभूमि की विवरणी (Land Schedule) संलग्न नहीं है।	संलग्न।
6.	प्रस्ताव के साथ Layout Plan संलग्न ही है।	संलग्न।
7.	राजस्व अधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित भूमि अनुसूची संलग्न नहीं है।	संलग्न।
8.	प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत उपायुक्त द्वारा निगम अनापत्ति प्रमाण-पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में नहीं है।	Undertaking संलग्न।
9.	प्रस्ताव के साथ सभा/आम सभा की कार्रवाई की प्रति संलग्न नहीं है।	Undertaking संलग्न।
10.	प्रस्तावित अधिसूचित वनभूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षोपकरण हेतु चयनित समतुल्य 7.69 हे० गैर-वनभूमि का नक्शा, DGPS, टोपोमैप शीट संख्या एवं रंगीन तथा अरेखन मान्य है। उक्त गैर-वनभूमि का KML file (CD में), वन प्रमण्डल पदाधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न नहीं है।	(1) नक्शा (संलग्न) (2) KML file (CD में) (3) वन प्रमण्डल पदाधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न, जिसमें सामग्री मद में GST वसूलनीय है।

Handwritten signature/initials

11.	Purpose wise breakup at forest land संबंधित प्रतिवेदन संलग्न नहीं है।	संलग्न।
12.	प्रस्ताव के साथ अपयोजित होने वनभूमि पर प्रड़ने वाले वृक्षों की प्रजातित्वार Grith wise गणना सूची सारांश में संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	संलग्न।
13.	Resettlement & Rehabilitation Plan संलग्न नहीं है।	लागू नहीं।
14.	KML File (generated) of Map of outer boundary of mining lease area संलग्न नहीं है।	संलग्न।
15.	Regarding bared and minimum use of forest land वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking) संलग्न नहीं है।	संलग्न।
16.	Regarding any work carred out in violatrion of the act or guidelines issues under 1980 वचनबद्धता प्रमाण (Undertaking) संलग्न नहीं है।	संलग्न।
17.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड की गयी KML का area 7.49 ha. and applied forrest area 7.52 ha. में भिन्नता है।	प्रयोक्ता संस्थान द्वारा संशोधित कर दी गई है।
18.	फार्म-ए पार्ट- I का कण्डिका C(iv) में अपलोड की गयी Geo-reference का PDF File नहीं परिलक्षित हो रहा है इसे पुनः अपलोड करना आवश्यक होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा PDF File अपलोड कर दी गई है।

उक्त परियोजना से संबंधित विवरणी विहित प्रपत्र Part-II में Online वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा द्वारा पुनः Upload कर विषयांकित प्रस्ताव का Part- I एवं Part - II की सात-सात प्रतियाँ इस कार्यालय में समर्पित किया जिसकी पाँच प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु :- यथोक्त।

आपका विश्वासी,


वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, गुमला।
18/05/23